

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240092
CG-DL-E-07112022-240092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4950]
No. 4950]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5169(अ).—केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2277(अ), दिनांक 18 मई, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-73 पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-344 कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.000 (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर -उ० प्र०/हरियाणा बॉर्डर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 मई, 2022 " को "अमर उजाला" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-73 पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-344 कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.000 (रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर -उ० प्र०/हरियाणा बॉर्डर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड जिले का नाम: हरिद्वार					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भगवानपुर				
	गांव का नाम: भगवानपुर मुस्तहकम				
1	348	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0152	डीएवी स्कूल भगवानपुर (348)
2	349	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.013	डीएवी स्कूल भगवानपुर (349)
3	354	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0133	डीएवी स्कूल भगवानपुर (354)
4	355	निजी(डी०ए० वी० स्कूल भगवानपुर)	गैर कृषि	0.0153	डीएवी स्कूल भगवानपुर (355)
5	470	निजी	कृषि	0.0065	राजपाल सिंह पुत्र हुकम सिंह, राजकुमार पुत्र घसीटू, सेठपाल सिंह पुत्र इलम सिंह, अनिल कोहली पुत्र जयचन्द कोहली, सरिता पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नी योगेश कुमार, संगीता

					पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नी मनीष कुमार, निशा पत्नी प्रदीप कुमार, कुलदीप सिंह बिष्ट पुत्र भूपाल सिंह बिष्ट, रीटा देवी पत्नी सुशील, दयारानी पत्नी चंद्र मोहन, पवन कुमार पुत्र जयपाल सिंह, उषा पत्नी राजेन्द्र कुमार, सुमित्रा सैनी पत्नी लखीराम सैनी, दयाल सिंह पुत्र भगोत सिंह, श्याम सुंदर पुत्र राजेन्द्र सिंह, प्रीति पत्नी संजय कुमार, अनिता पत्नी श्याम कुमार, नंदन सिंह पुत्र जमन सिंह, सुंदर सिंह पटवाल पुत्र जमन सिंह, भगवती पत्नी जगपाल (470)
6	471	सरकारी	गैर कृषि	0.004	मंदिर (471)
	तालुक का नाम: रूड़की				
	गांव का नाम: आसिफ नगर में चक				
1	81/14	निजी	कृषि	0.009	मदन सिंह वर्मा पुत्र फूल सिंह (81/14)
	गांव का नाम: करोन्दी मुस्तहकम				
2	602/1	निजी	कृषि	0.0058	नईम अहमद पुत्र मौ० यासीन (602/1)
	गांव का नाम: किशन पुर जमाल पुर मुस्तहकम				
3	733	निजी	कृषि	0.0075	हाशिम पुत्र इस्माईल, सईद, इस्माईल पुत्रगण जहूरा, हाशमी पत्नी स्व० जहूरा, इमरान, फरमान, सलमान, उसमान, लुकमान पुत्रगण मंसूर अली, मूनिशा पत्नी स्व० मंसूर अली, जुल्फान पुत्र यासीन, शहजाद पुत्र गुलाम साबिर, शकील पुत्र अब्दुल मजीद, वशीर पुत्र यासीन, शमीम अहमद पुत्र सगीर, कौसर पत्नी वहीद, मौ० इरफान पुत्र इकबाल, मौ० जुल्फकार पुत्र महफूज, मौ० इकबाल पुत्र नाजिर हसन, अरशद आरफी पुत्र

					राशीद आरफी, मौ० इनाम पुत्र मुस्तफा, इमरान पुत्र मंसूर, संदीप भारद्वाज पुत्र नरेन्द्र भारद्वाज (733)
4	734	सरकारी(जूनियर हाई स्कूल)	गैर कृषि/कृषि	0.0266	जूनियर हाई स्कूल किशनपुर जमालपुर (734)
5	735	सरकारी(जोहड़)	गैर कृषि	0.0104	जोहड़ (735)
6	736	सरकारी(आबादी)	गैर कृषि	0.0056	आबादी (736)
7	857/2	निजी	कृषि	0.0158	जावेद फारुख पुत्र मौ० फारुख, मौ० अब्बास पुत्र इनामुलहक, सुलेमान पुत्र मौ० अली, दानिश , मौ० साकिब पुत्रगण अनीस अहमद, शाहीन पत्नी स्व० अनीस अहमद (857/2)
गांव का नाम: तौंशीपुर					
8	15	निजी	कृषि	0.0466	चन्द्रप्रकाश पुत्र कालीराम (15)
9	16	निजी	कृषि	0.0118	अमरेश कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश (16)
			कुल	0.2064	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 7th November, 2022

S.O. 5169(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.2277(E) 18th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of of National Highway no. 73 renamed as NH-344 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 22.000 (Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Times of India” both dated 28th May, 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway no. 73 renamed as NH-344 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 22.000 (Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-U.P./Haryana Border Section) in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

State: UTTARAKHAND District: HARIDWAR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhagwanpur				
	Village: Bhagawanpur Mustahakam				
1	348	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0152	DAV school Bhagwanpur 348
2	349	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.013	DAV School Bhagwanpur 349
3	354	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0133	DAV School Bhagwanpur 354
4	355	Private(DAV School Bhagwanpur)	Non-Agriculture	0.0153	DAV School Bhagwanpur 355
5	470	Private	Agriculture	0.0065	Rajpal Singh S/o Hukam Singh, Rajkumar S/o Ghaseetu, Sethapal Singh S/o Ilam Singh, Anil Kohali S/o Jaychand Kohli, Sarita D/o Ravindra Kumar and W/o Yogesh Kumar, Sangeeta D/o Ravindra Kumar W/o Manish Kumar, Nisha W/o Pradeep Kumar, Kuldeep Singh Bisht S/o Bhupal Singh Bisht, Reeta Devi W/o Sushil, Dayarani W/o Chandra Mohan, Pawan Kumar S/o Jaypal Singh, Usha W/o Rajendra Kumar, Sumitra Saini W/o Lakhiram Saini, Dayal Singh S/o Bhagot Singh, Shyam Sunder S/o Rajendra Singh, Preeti W/o Sanjay Kumar, Anita W/o Shyam Kumar, Nandan Singh S/o Jaman Singh, Sunder Singh Patwal S/o Jaman Singh, Bhagwanti W/o Jagpal 470
6	471	Government	Non-Agriculture	0.004	Mandir 471
	Taluk: Roorkee				

	Village: Asif Nagar Me Chak				
1	81/14	Private	Agriculture	0.009	Madan Singh Verma S/o Phool Singh 81/14
	Village: Karondi Mustahakm				
2	602/1	Private	Agriculture	0.0058	Naem Ahamad S/o Late Mohd. Yaseen 602/1
	Village: Kishanpur Jamalpur Mustahakm				
3	733	Private	Agriculture	0.0075	Hashim S/o Ismael, saed, Ismael S/o Jahoor, Hashami W/o Late Jahoor, Imran, Farman, Salman, Usman, Lukman S/o Mansoor Ali and Munisha W/o Late Mansoor Ali, Julfan S/o Yaseen, Shahjad S/o Gulam Sabeer, Shakeel S/o Abdul Majid, Baseer S/o Yaseen, Shamim Ahamad S/o Sagir, Kausar W/o Waheed, Mohd. Irfan S/o Ikbal, Mohd. Julfkar S/o Mahfooj, Mohd. Ikbal S/o Nazir Hasan, Arsad Arfi S/o Rashid Arfi, Mohd. Inam S/o Mustfa, Imran S/o Mansoor, Sandeep Bhardwaj S/o Narendra Bhardwaj 733
4	734	Government(Junior High School)	Non-Agriculture	0.0266	Junior High School Kishanpur Jamalpur 734
5	735	Government(Johad)	Non-Agriculture	0.0104	Johad 735
6	736	Government(Aabadi)	Non-Agriculture	0.0056	Aabadi 736
7	857/2	Private	Agriculture	0.0158	Jawed Farook S/o Mohd. Farook, Mohd. Abbas S/o Inamulahq, Suleman S/o Mohd. Ali, Danish & Mohd. Sakib S/o Anis Ahamad & Shahin W/o Late Anish Ahamad 857/2
	Village: Tashipur				
8	15	Private	Agriculture	0.0466	Chandraprakash S/o Kaliram 15
9	16	Private	Agriculture	0.0118	Amresh Kumar S/o Chandraprakash 16
			TOTAL	0.2064	

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3D]

RAJESH GUPTA, Director